रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 1987/श्रावण 26, 1909
No. 176] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 1987/SRAVANA 26, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 208/आई टी सी (पी एन)/85—88

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1987

विषय:—अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए आयात-निर्यात नीति ।

फा. सं. आई. पी. सी./4/5/(352)/85—88:—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या-1-आई टी सी (पी एन)/85—88 दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अंतर्गत

प्रकाशित अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2 नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति 1985–88 (खण्ड-I) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
(1)	129	परिशिष्ट-3 भाग-क	वर्तमान प्रविष्टि संख्या 261 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा :— "261(क) मिथाइल क्लोराइड 261(ख) मिथाइलेन क्लोराइड"
(2)	137	परिशिष्ट-3 भाग-क	वर्तमान प्रविष्टि संख्या 531 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा:— "531(क) लीड एलोएस"
(3)	194	परिशिष्ट-6 सूची–8, भाग–1 प्रविष्टि संख्या–216 मिथाइल क्लोराइड	इस प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा
(4)	194	परिशिष्ट-6 सूची-8, भाग-1 प्रविष्टि संख्या-218 मिथाइलेन क्लोराइड	इस प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा ।
(5)	200	परिशिष्ट-6 सूची-8, भाग-1 प्रविष्टि सं.-493 लीड अलोएस	इस प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा ।

3 इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार खुले सामान्य लाइसेंस में से निकाली गई मदों के संबंध में, पात्र आयातकों द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से पहले खोले गए और स्थापित किए गए अपरिवर्तनीय साख-पत्र की सीमा, जिसके लिए पोतलदान इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर किया जाता है, को छोड़कर आयात अनुमेय नहीं किया जाएगा ।

4. आयात-निर्यात नीति में उपर्युक्त संशोधन लोक-हित में किए गए हैं ।

ह./-

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, (आयात-निर्यात)
मंजुला सुब्राहमणियम, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, (आयात-निर्यात)

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 208/ -ITC(PN) 85 88

New Delhi, the 17th August, 1987

Subject: -Import and Export Policy for April 1985 --March 1988

I No.IPC/4/5/(352)/85 -88:—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1985 -March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No.I ITC(PN) - 85--88 dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below:- -

Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1985 --88 (Volume I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	129	Appendix 3 Part A	After the existing entry No. 261, the following entries shall be added: "261 A. Methyl Chloride. 261 B. Methylene Chloride."

1	2	3	4
2.	137	Appendix 3 Part A	After the existing entry No. 531, the following entry shall be added:- "531 A. Lead alloys."
3.	194	Appendix 6, List 8 Part I. Entry No. 216 Methyl Chloride	This entry shall be deleted.
4.	194	Appendix 6, List 8 Part I. Entry No. 218 Methylene Chloride.	This entry shall be deleted.
5.	200	Appendix 6, List 8 Part I. Entry No 493 Lead alloys.	This entry shall be deleted.

3. In respect of item(s) taken out of Open General Licence in terms of this Public Notice, import under Open General Licence by eligible importers shall not be permitted except to the extent of irrevocable letters of credit already opened and established before the date of this Public Notice, for which shipments are made within a period of 90 (Ninety) days from the date of this Public Notice.

4. The above amendments in the Import & Export Policy have been made in the public interest.

Sd/-

R. I MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

MANJULA SUBRAMANIAM, Joint Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987